NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Schemes) Scheme, 2015

NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Schemes) Scheme, 2015

1) Background

Under Section 4 (l) of the Legal Services Authorities Act, 1987, the National Legal Services Authority envisaged as the Central Authority under the Act, is obligated to "take appropriate measures for spreading legal literacy and legal awareness amongst the people and, in particular, to educate weaker sections of the society about the rights, benefits and privileges guaranteed by social welfare legislations and other enactments as well as administrative programmes and measures". The Preamble of the Legal Services Authorities Act, 1987, underscores that the legal services authorities are concerned with the weaker sections of the society and imposes a duty on them to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

Very often intended beneficiaries of poverty alleviation and social security measures are unable to access the benefits due to severe lack of capabilities, social structures, economic marginalisation and exploitation, social values, cultural norms, discrimination etc. In this context, the role of legal services authorities must be a proactive one where measures designed to alleviate poverty must be brought to the attention of the intended beneficiaries. Further, legal services authorities are very well suited to facilitating access to such poverty alleviation measures due to their last mile presence. Therefore this scheme lays down a mechanism for identification of poverty alleviation and social security measures, a framework for facilitating access to such measures by intended beneficiaries and a model for effective review of these processes. In designing this scheme, the concern that there could be local variations and requirements have been particularly considered and sufficient flexibility has been built in for local legal aid authorities to adapt this national scheme according to their needs.

This scheme is built on the foundation that poverty is a multi-dimensional experience and is not limited to issues of income. Multi-dimensional poverty include issues like health (including mental health), housing, nutrition, employment, pension, maternal care, child mortality, access to water, education, sanitation, subsidies and basic services, social exclusion, discrimination etc. Further, in identifying the specific schemes for implementation at the state and district level, legal services authorities are expected to be cognisant of the fact various vulnerable and marginalised groups experience poverty in myriad and unique ways.

2) Name of the Scheme

This Scheme shall be called "**NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Schemes) Scheme, 2015**".

3) Definitions

1) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987.

2) "Central Authority" means the National Legal Services Authority constituted under Section 3 of the Act.

3) "Complainant Beneficiary" refers to any Scheme Beneficiary who files a complaint against any designated authority or officer who is identified as the designated authority or officer under any of the Poverty Alleviation Schemes.

4) "District Authority" means a District Legal Services Authority constituted under section 9 of the Act.

5) "Legal Services Officer" refers to any person who is designated as such for the purpose of this Scheme.

6) "Para-legal volunteers" refers to 'PLV' as defined and trained under the NALSA Scheme for Para Legal Volunteers (Revised) and Module for the Orientation – Induction – Refresher Courses for PLV Training.

7) “Poverty Alleviation Schemes” refer to any scheme/ programme/ launched either by the Central Government, or the State Government, that is aimed at addressing any dimension of poverty. They also include social security measures.

8) “Scheme Beneficiaries” include:

a. Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

b. all persons eligible for applying under the Poverty Alleviation Schemes; and

c. other persons for whom special economic, social or political measures are taken including but not limited to children, women and transgenders.

9) “State Authority” means State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act.

10) "Taluka Legal Services Committee" means a Taluka Legal Services Committee constituted under section 11-A of the Act.

11) The terms Legal Services Clinics, Front Office, Panel Lawyers and Retainer Lawyers will mean the same as defined under the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 and National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011.

4) Objectives of the Scheme

The main objectives of the Scheme are as follows:

1) To ensure access to basic rights and benefits afforded to socially or economically weaker sections of society;

2) To strengthen legal aid and support services at the national, state, district and taluka levels for persons belonging to socially or economically weaker sections in accessing Poverty Alleviation Schemes;

3) To spread awareness about the Poverty Alleviation Schemes through the members of the District Authority, Taluka Legal Services Authority, panel of lawyers, social workers, para-legal volunteers, and students in legal aid clinics;

4) To create a database of all the existing central or state schemes, policies, regulations, policy directives, conventions, rules, and reports available concerning Poverty Alleviation Schemes along with the latest funding information on these schemes;

5) To undertake and organise training and orientation programs, for panel lawyers, para-legal volunteers, officers under Poverty Alleviation Schemes, student volunteers in legal aid clinics for their skill enhancement and for developing a sense of deeper engagement amongst them for implementing this Scheme; and

6) To develop effective coordination and interface with all government bodies or functionaries, institutions, authorities, NGOs and other organisations concerning or entrusted with the responsibilities relating to welfare of socially/ economically weaker sections of the society.

5) Identification of Poverty Alleviation Schemes

1) Every State Authority shall identify the existing and active Poverty Alleviation Schemes applicable in the state and circulate a list of the same every twelve months to all the District Legal Services Authorities in the state. The list shall include the following:

   a. Poverty Alleviation Schemes applicable in that State along with the names of the specific districts in which they are applicable in that year;

   b. The intended beneficiaries under each of the Poverty Alleviation Schemes;

   c. The name of the designated authority or the designated officer to be approached to access each of the Poverty Alleviation Schemes, as identified under each of them;

d. The list of documents required to access each of the Poverty Alleviation Schemes, as identified under each of them;

e. The benefits under each of the Poverty Alleviation Schemes, as provided for in each of them;

f. The amount of funds allocated to each of the Poverty Alleviation Schemes by the Central Government, or the State Government, or both of them, as the case maybe, for the particular year;

2) The list prepared by every State Authority under sub-clause (1) shall be circulated annually to all the District Authorities. A copy shall also be sent to the Central Authority.

3) The State Authority shall also upload the list under sub-clause (1) on their web-site.

4) Every District Authority shall, on the receipt of the list prepared under sub-clause (1), within 7 days of receipt of the list, send a copy of the list to the following functionaries:

a. All Taluka Legal Services Committees in the district;

b. All the village panchayats in the district;

c. People working in legal services clinics, members of Panchayats, law students and other para-legal volunteers who volunteer to assist in the implementation of the Scheme.

6) Organisation of Awareness programmes

1) The State Authorities in collaboration with concerned District Authorities shall take steps for conducting awareness programmes to generate awareness about various Poverty Alleviation Schemes available in that District. Steps shall also be taken by Taluka Legal Services Committees to create awareness regarding the availability of legal services for accessing Poverty Alleviation Schemes, in Panchayat meetings, town hall meetings, Pulse Polio camps, festival gatherings or other village gatherings.

2) All State Authorities shall send a list of such programmes organised in their respective jurisdictions every six months to the Central Authority.

7) Legal Services Officers and Para-legal Volunteers

1) Every District Authority and Taluka Legal Services Authority shall designate at least three panel lawyers as Legal Services Officers for the purpose of this Scheme.

2) District Authorities shall constitute teams of PLVs under a Legal Services Officer to implement this Scheme and the Legal Services Officer will supervise and mentor the PLVs in his team to help the beneficiaries access the various schemes of the Govt.

3) District Authorities shall conduct specialised training programs for panel of lawyers, members working in legal services clinics, members of panchayats, law students and other para-legal volunteers to assist in the implementation of the Scheme, to sensitise them regarding the needs of persons belonging to socially and economically weaker sections and the benefits that they can avail through Poverty Alleviation Schemes.

8) Legal assistance for access to Poverty Alleviation Schemes

Legal assistance must be provided to all the Scheme Beneficiaries seeking access to Poverty Alleviation Schemes. Legal services to be provided by Legal Services Officers or volunteers under this Scheme includes, *inter alia*:

1) Informing the Scheme Beneficiaries about each of the Poverty Alleviation Schemes to which they are entitled, and the benefits thereunder

2) Assisting the Scheme Beneficiary in procuring the documents required for availing the benefits under any of the Poverty Alleviation Schemes

3) Informing the Scheme Beneficiary of the name and the address of the designated authority or the officer to be approached for registration under any of the Poverty Alleviation Schemes

4) Offering to send para-legal volunteers including from the legal services clinics with Scheme Beneficiaries to the office of the designated authority or the officer to be approached under any of the Poverty Alleviation Schemes

5) Informing the Scheme Beneficiary of her option to register a complaint with the Legal Services Officer or para-legal volunteer, about any designated authority or officer under any of the Poverty Alleviation Schemes who refuses to cooperate with a Scheme Beneficiary in providing her access to the benefits that she is entitled to under the Poverty Alleviation Scheme.

6) Maintaining a record of all the complaints received under sub-clause (5).

7) Providing Scheme Beneficiaries with the contact number, if available, of the Legal Services Officer, and availability of the Legal Services Officer on call during working hours for such Scheme Beneficiaries to whom contact number is provided

9) Action by Legal Services Officers on complaints

1) On receiving complaints under sub-clause (5) of clause 8, each Legal Services Officer shall herself personally accompany the Complainant Beneficiary to the office of the designated authority or officer, and assist the Complainant Beneficiary in availing the benefit that she is entitled to under the Poverty Alleviation Scheme.

2) In case the designated authority or officer fails to register the Complainant Beneficiary in the Poverty Alleviation Scheme, the

Legal Services Officer shall submit a complaint to the District Authority. The letter of complaint shall describe the conduct of the designated authority or officer who refused to register the Complainant Beneficiary under the Poverty Alleviation Scheme, and circumstances of such refusal and whether refusal was despite submission of all necessary documents.

10) Action by District Authority and State Authority on complaints

1) On receiving a complaint regarding the designated authority or officer, the District Authority shall seek a report from the concerned officer regarding the reasons for denying the benefits under the Poverty Alleviation Scheme to the Complainant Beneficiary. In the event that sufficient reason is not provided by the concerned officer for refusal to register the Complainant Beneficiary in the Poverty Alleviation Scheme or to provide benefits under the Poverty Alleviation Scheme, the District Authority shall immediately communicate to the superior officer in the department the details of the refusal to provide access to the Poverty Alleviation Scheme.

2) If the superior officer, in the opinion of the District Authority, also withholds the benefit under the Poverty Alleviation Scheme without sufficient cause, the District Authority shall then communicate the same to the State Authority.

3) On receiving such communication from the District Authority, the State Authority may choose to further pursue the matter with the concerned department or file appropriate legal proceedings to ensure that the Complainant Beneficiary receives the benefit under the Poverty Alleviation Scheme.

4) The District Authority, through para-legal volunteers or legal services clinics, shall provide regular updates to the Complainant Beneficiary about the status of the complaint.

11) Evaluation of the Scheme

1) Every Legal Services Officer shall follow-up with each Scheme Beneficiary who sought legal assistance under thisScheme and record:

   a. if such person was able to register under the Poverty Alleviation Scheme sought to be registered under and whether such benefits were being received

   b. any grievances experienced by the Scheme Beneficiaries in getting registered and availing benefits under the various Poverty Alleviation Schemes.

2) The District Authority shall compile the observations made under sub-clause (1) for all the Legal Services Officers working under the Scheme in the district, and shall send a copy of such observations in a compiled document to the State Authority every six months.

3) The State Authority shall consolidate the compiled documents received from all the District Authorities under sub-clause (2), and hold a meeting every 6 months to review the functioning and effectiveness of this Scheme. The minutes of such meeting shall be recorded and published as a public document.

4) If in the meeting under sub-clause (3), the State Authority finds a substantive or procedural defect in any of the Poverty Alleviation Schemes which makes seeking benefits under the scheme a problem for the Scheme Beneficiaries, such defect must be brought to the notice of the Central Government or the State Government, as the case may be for improving the specific Poverty Alleviation Scheme and/or its effective implementation.

****

नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

1. पृष्ठभूमि

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4(1) के अंतर्गत, अधिनियम के राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में परिकल्पित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है कि वो 'लोगों के बीच विधिक जागरूकता एवं विधिक साक्षरता फैलाने के विषय में उचित उपाय करे एवं विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को समाज कल्याण अधिनियमों एवं अन्य विधियों व साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यक्रम एवं उपायों के अंतर्गत दिए गए अधिकार, लाभ एवं विशेषाधिकार के विषय में जागरूक करें। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की भूमिका यह रेखांकित करती है कि विधिक सेवा संस्थाएं समाज के दुर्बल वर्ग से सम्बन्ध रखते है एवं उन पर ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अधिरोपित करती है कि किसी भी नागरिक को उसकी आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे।

अधिकांश रूप से गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के आशयित लाभार्थी व्यक्ति, सामजिक संरचना के सख्त अभाव एवं आर्थिक पिछड़ेपन एवं शोषण एवं सामाजिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक पद्धतियों, पक्षपात इत्यादि के कारणवश इनका लाभ नहीं ले पाते इसी सन्दर्भ में, विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका अति सक्रिय होनी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन हेतु परिकल्पना किये गए उपाय, आशयित लाभार्थियों के ध्यान में लाया जाए। आगे अपने अंतिम चरणों तक उपस्थिति के कारणवश विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे गरीबी उन्मूलन उपायों तक पहुँच को सरल बनाने हेतु अत्यधिक उचित है।

अत: यह योजना गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों की पहचान हेतु एक प्रक्रिया प्रस्तुत करती है एवं आशयितल लाभार्थियों द्वारा ऐसे उपायों तक पहुँच को सरल बनाने हेतु पद्धति प्रदान करती है तथा इन प्रतिक्रियाओं के प्रभावी पुनरीक्षण का तरीका बताती है। इस योजना की कल्पना करते समय ये ख्याल कि क्षेत्रीय भिन्नताएं एवं आवश्यकताएं हो सकतीं हैं को भी विशेष रूप से विचार में रखा गया है एवं पर्याप्त लचीलापन रखा गया है कि स्थानीय विधिक सहायता प्राधिकरण अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस राष्ट्रीय योजना को लागू कर सके।

ये योजना इस आधार पर बनाई गई है कि गरीबी एक बहु-आयामी अनुभव है और केवल आय सम्बंधित समस्याओं तक सीमित नहीं होती है। बहु-आयामी गरीबी, स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करते हुए), घर, आहार, रोजगार, पेंशन, मैत्रिक देख-रेख, शिशु-मरण, पानी, शिक्षा, सफाई, सहायता एवं मौलिक सेवाओं, सामाजिक निष्कासन, पक्षपात, इत्यादि जैसी समस्याओं को शामिल किये हुए हैं। आगे, राज्य एवं जिला स्तर पर विशेष योजनाओं को लागू करने

हेतु पहचान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वो इस तथ्य का संज्ञान रखें कि भिन्न निर्बल एवं पिछड़े समूह गरीबी का अदभुत ढंग से अनुभव करते हैं।

2. योजना का नाम

यह योजना नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 कहलाएगी।

3. परिभाषाएं

- 'अधिनियम' से अभिप्रेत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 है।
- 'केन्द्रीय प्राधिकरण' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है।
- 'शिकायतकर्ता लाभार्थी' किसी भी ऐसे योजना लाभार्थी को निर्देशित करता है जो किसी पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराता है जो गरीबी उन्मूलन योजनाओं में से किसी के अंतर्गत पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के रूप में पहचाना जाता हो।
- 'जिला प्राधिकरण' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है।
- 'विधिक सहायता अधिकारी' किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करता है जिसे इस योजना के प्रयोजन हेतु पद नामित किया गया है।
- 'अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी' पी.एल.वी. को निर्देशित करता है जो नालसा की पैरा लीगल वालंटियर्स (संशोधित) योजना- पैरा लीगल वालंटियर्स प्रशिक्षण मॉड्यूल में परिभाषित है।
- 'गरीबी उन्मूलन योजना' केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई किसी योजना/ कार्यक्रम को निर्देशित करता है जो गरीबी के किसी पहलू की ओर ध्यान दिलाने के लिए उद्देश्यित है। इनमे सामाजिक सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं।
- 'योजना लाभार्थियों' में शामिल हैं :-
  - ✔ अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जन जातियॉं
  - ✔ गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु योग्य सभी व्यक्ति तथा
  - ✔ अन्य व्यक्ति में जिनके लिए विशेष आर्थिक, सामजिक या राजनैतिक उपाय किये गए हैं बच्चे, महिलाऐं तथा किन्नर शामिल हैं परन्तु उन तक सीमित नहीं हैं।
- 'राज्य प्राधिकरण' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गठित 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' है।

- 'तालुका विधिक सेवा समिति' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 11-। के अंतर्गत गठित 'तालुका विधिक सेवा समिति' है।
- विधिक सेवा क्लीनिक, फ्रंट ऑफिस, पैनल अधिवक्ता और प्रतिधारक अधिवक्ता जैसे शब्दों का अर्थ वही रहेगा जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधि) विनिमयन, 2010 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनिमयन, 2011 के तहत परिभाषित है।

4. योजना का लक्ष्य

योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न हैं :-

- समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को दिए गए लाभों एवं मौलिक अधिकारों तक पहुँच को सुनिश्चित करना।
- गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लेने में अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा तालुका स्तरों पर विधिक सहायता एवं सहयोग सेवा को सशक्त बनाना।
- जिला प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों, पैनल अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी तथा विधिक सहायता क्लीनिक के छात्रों द्वारा गरीबी उन्मूलन योजनाओ के विषय में जागरूकता फैलाना।
- समस्त प्रभावी केंद्रीय अथवा राज्य योजनाओं, नीतियों, विनियमों, नीति-निर्देश, परम्पराओं, नियमों एवं प्रतिवेदनों का, जो गरीबी उन्मूलन योजना के संबंध मे उपलब्ध हो, साथ ही इन योजनाओं पे नवीनतम निधि जानकारियों का लेखा तैयार करना।
- पैनल अधिवाक्तागण, अर्धविधिक स्वयंसेवकों, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अधीन अधिकारियों, विधिक सहायता क्लिनिक के स्वयंसेवकों हेतु प्रशिक्षण एवं दिग्विन्यास कार्यक्रम का उपबंध एवं आयोजित करना ताकि उनका हुनर बढ़ाया जा सके और उनके अन्दर इस योजना को लागू करने हेतु इससे जुड़ने का गहरा सदभाव पैदा हो सके।
- समस्त सरकारी निकायों अथवा पदाधिकारियों, संस्थाओं, अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं जो समाज के सामाजिक/आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के कल्याण से सम्बंधित जिम्मेदारियां लिए हुए हैं उनके बीच प्रभावी सम्बन्ध एवं संपर्क बढ़ाना।

5. गरीबी उन्मूलन योजनाओं की पहचान

1. प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, राज्य में लागू वर्तमान तथा सक्रिय गरीबी उन्मूलन योजनाओं की पहचान करेगा तथा इसकी एक सूची प्रत्येक बारह माह में राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को उपलब्ध करायेगा। सूची में निम्न शामिल होंगे :-

(क) उस राज्य में लागू गरीबी उन्मूलन योजनाओं के साथ-साथ विशेष जिले जिनमे वह लागू है।

(ख) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओ के अंतर्गत आशयित लाभार्थी।

(ग) योजना के अन्तर्गत प्राधिकारी अथवा अधिकारी के नाम।

(घ) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुँच हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची जैसा कि प्रत्येक के अंतर्गत पहचान की गई है।

(ड.) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओ के अंतर्गत लाभ जैसा कि उनमें से प्रत्येक के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

(च) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा, जैसा भी मामला हो, विशेष वर्ष हेतु प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजना के लिए आबंटित की गई निधि की राशि,

2. प्रत्येक जिले का नाम जहाँ विशेष वर्ष हेतु गरीबी उन्मूलन योजना लागू की जानी है।

3. उपखंड (1) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई सूची वार्षिक रूप से समस्त जिला प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी। एक प्रतिलिपि केंद्रीय प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी।

4. प्रत्येक जिला प्राधिकरण उप-खंड (1) के अंतर्गत तैयार की गई सूची की प्राप्ति पर, इस सूची की प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर निम्न को सूची की प्रतिलिपि भेजेगा :-

(अ) जिले की समस्त तालुका विधिक सेवा समितियां

(आ) जिले के समस्त ग्राम पंचायतों

(इ) विधिक सेवा क्लिनिक में कार्य करने वाले लोगों, पंचायत सदस्यों, विधि छात्रगण एवं अन्य अर्ध विधिक स्वयंसेवकों जो योजना को लागू करने में सहायता देने हेतु तत्पर हों।

6. जागरूकता कार्यकलापों का संयोजन

- राज्य प्राधिकरण संप्रक्त जिला प्राधिकरण के सहयोग से जिले में उपलब्ध भिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों को संयोजित करने हेतु कदम उठाएगा। तालुका विधिक सेवा समितियों द्वारा भी पंचायत

  सभाओं, टाउन हाल सभाओं, पल्स पोलियो शिविर, त्यौहार गोष्ठियों अथवा अन्य ग्राम गोष्ठियों में गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुँच हेतु उपलब्ध विधिक सेवाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कदम उठाए जायेंगे।

- समस्त राज्य प्राधिकरण अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्रों में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों की सूची प्रत्येक छह माह में केन्द्रीय प्राधिकरण को भेजेंगे।

7. विधिक सहायता प्राधिकारीगण एवं अर्ध-विधिक स्वयंसेवी

1. इस योजना के प्रयोजन हेतु प्रत्येक जिला प्राधिकरण एवं तालुक विधिक सेवा समिति न्यूनतम तीन पैनल अधिवक्ताओं को विधिक सहायता अधिकारी के रूप में पद नामित करेंगे।

2. अधिवक्तागण के पैनल, विधिक सेवा क्लिनिक में कार्यरत सदस्यों, पंचायत सदस्यों, विधि छात्रगण एवं अन्य अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों को योजना को लागू करने में सहयोग देने एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले लोगों की आवश्यकताओं के विषय में संवेदनशील बनाने और उन्हें गरीबी उन्मूलन योजनाओं द्वारा क्या-क्या लाभ उपलब्ध होने वाले हैं ये बताने हेतु जिला प्राधिकरण विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयोजन करेंगे।

8. गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुँच हेतु विधिक सहायता

गरीबी उन्मूलन योजना तक पहुँच चाहने वाले सभी योजना लाभार्थियों को विधिक सहायता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत विधिक सहायता प्राधिकारीगण एवं स्वयंसेवकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं में, अन्य बातों के साथ, निम्न संम्मिलित हैं :-

1. योजना लाभार्थी को प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजना, जिसका वो हकदार है और उसके अंतर्गत मिलने वाले लाभ के विषय में सूचित करना,

2. किसी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभ उठाने हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में योजना लाभार्थियों की सहायता करना,

3. किसी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु संपर्क किये जाने वाले पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी का नाम एवं पते की सूचना योजना लाभार्थी को देना।

4. किसी भी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत संपर्क किए जाने वाले पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के कार्यक्रम तक योजना लाभार्थियों के साथ अर्ध-विधिक स्वयंसेवियों अथवा विधिक सेवा क्लीनिक के सदस्यों को भेजने का प्रस्ताव रखना।

5. योजना लाभार्थी को सूचित करना कि वो विधिक सहायता अधिकारी अथवा अर्ध-विधिक स्वयंसेवी को किसी भी गरीबी उन्मूलन योजना से जुड़े पद नामित किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी के विषय में शिकायत करने का विकल्प रखता है जो योजना लाभार्थी को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभों को उपलब्ध करने में जिसका वो हकदार है उसका सहयोग करने से इंकार कर रहा हो,

6. उप-खंड (5) के अंतर्गत शिकायतों का अभिलेख रखना,

7. योजना लाभार्थियों को विधिक सहायता अधिकारी का दूरभाष नंबर उपलब्ध कराना यदि उपलब्ध हो और ऐसे लाभार्थियों को जिन्हें दूरभाष नंबर दिया गया है उन्हें कार्यकाल समय के दौरान विधिक सहायता प्राधिकारी की दूरभाष पर उपलब्धता के विषय में बताना।

9. शिकायतों पर विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा कार्य करना

- खंड 8 के उप खंड (5) के अंतर्गत शिकायत की प्राप्ति पर प्रत्येक विधिक सहायता प्राधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता लाभार्थी के साथ पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के कार्यालय में जायंगे एवं शिकायतकर्ता लाभार्थी को उस लाभ को उपलब्ध करने में सहयोग करेंगे जिसका वो गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत हकदार है।
- यदि किसी परिस्थिति में पद नामित प्राधिकारी या अधिकारी, शिकायतकर्ता लाभार्थी को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत पंजीकृत करने में विफल रहता है तो विधिक सहायता प्राधिकारी जिला प्रधिकारी गण को शिकायत करेंगे। शिकायत पत्र पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के कदाचार को व्यक्त करेगी जिसने शिकायतकर्ता लाभार्थी को समस्त आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने अथवा समस्त दस्तावेजों के प्रावधान के बावजूद गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत पंजीकृत करने से इनकार किया हो।

10. शिकायतों पर जिला प्राधिकरण व राज्य प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही

1. पद नामित प्राधिकारी या अधिकारी की शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्राधिकरण सम्बंधित अधिकारी से गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत शिकायतकर्ता लाभार्थी को लाभ से वंचित किये जाने के कारणो के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगेगा। शिकायतकर्ता लाभार्थी को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किये जाने अथवा गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभ न दिए जाने के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण नहीं बताए जाने की अवस्था में जिला प्राधिकरण तुरंत गरीबी उन्मूलन योजना में शामिल किये जाने से इंकार का विवरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को देगा।
2. जिला प्राधिकरण की राय में यदि वरिष्ठ अधिकारी भी बिना पर्याप्त कारण गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभ उपलब्ध करवाने से रोकता है, तो जिला प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में सूचित करेगा।
3. जिला प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर राज्य प्राधिकरण सम्बंधित विभाग के समक्ष मामले को आगे बढा सकता है या शिकायतकर्ता लाभार्थी की गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित विधिक कार्यवाही कर सकता है।

4. जिला प्राधिकरण अर्ध–विधिक स्वयंसेवियों अथवा विधिक सेवा क्लिनिक के माध्यम से शिकायत की स्थिति के बारे में शिकायतकर्ता/लाभार्थी को नियमित जानकारी प्रदान करेगा।

11. योजना का मूल्यांकन

1) प्रत्येक विधिक सहायता अधिकारी, योजना के अंतर्गत विधिक सहायता की मांग करने वाले प्रत्येक योजना लाभार्थी को देखेगा तथा अभिलिखित करेगा।